

नवीन कुमार मिश्र, पटना : लोक सेवाओं के अधिकार कानून (आरटीपीएस एक्ट) के तहत लोगों को और राहत मिल सके इसके लिए सरकार ने कुछ नए प्रावधान किए हैं। जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्ति की मियाद घटा दी गई है। कम समय में इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता के कारण यह भ्रष्टाचार दूर करने के बदले भ्रष्टाचार की नई वजह बन गई थी। डुप्लिकेट प्रमाण पत्र तो तीन दिनों में ही हासिल होंगे। दिल्ली और आस-पास रहने वाले लोगों को बिहार भवन के माध्यम से दिल्ली में ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली और करीबी इलाकों के लोगों के लिए यह प्रावधान नहीं था। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को भी आरटीपीएस एक्ट में ला दिया गया है।

नई व्यवस्था : कितने दिनों में कौन से प्रमाण पत्र

- \* जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदन निष्पादन की समय सीमा 21 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दी गई है।
- \* 1 दिसंबर 2011 के बाद जारी जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र की डुप्लिकेट कापी आवेदन के तीन कार्य दिवस के भीतर हासिल होंगे। आरटीपीएस में पहले डुप्लिकेट के लिए प्रावधान नहीं था।
- \* दिल्ली और उसके आस-पास रहने वाले बिहार के निवासी स्थानिक आयुक्त बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय से जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। समय सीमा आवेदन करने के बाद 28 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। आरटीपीएस में यह नई व्यवस्था की जा रही है।
- \* राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरटीपीएस एक्ट में शामिल किया गया है। आवेदन के निपटारे की समय सीमा 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।
- \* मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को भी लोक सेवाओं के अधिकार कानून में शामिल कर दिया गया है। राशि उपलब्ध रहने पर आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
- \* आपत्ति वाले दाखिल खारिज मामलों के निपटारे के लिए 30 कार्यदिवस की मियाद को बढ़ाकर 60 कार्यदिवस किया जा रहा है।